पाटलिपुत्र में हल्दीराम वाले भवन पर ₹50 लाख जुर्माना

रेरा का फैसला

संवाददाता ▷ पटना

➲ **आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का मामला**

रेरा ने पाटलिपुत्र मेन रोड स्थिति पॉलिटेक्निक मोड़ के पास बने एक बड़े भवन पर कार्रवाई की है. उस बिल्डिंग में रिलायंस ट्रेंड और हल्दीराम जैसे प्रतिष्ठान के शोरूम चल रहे हैं. रेरा ने अपने फैसले में बिल्डिंग के मालिक मृणाल सिंह को 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार के मिले रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को पेश करने के लिए कहा है. रेरा के एक अधिकारी ने बताया कि रेरा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिल्डिंग आवासीय क्षेत्र में बनी है, जबकि उसका उपयोग व्यावसायिक किया जा रहा है. इसके अलावा निर्माणकर्ता की ओर से

• बाकी पेज 13 पर

प्रभात खबर
Mon, 25 January 2021
https://epaper.prabhatkhabar.com/c

Scanned with CamScanner